न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.)
प्रकरण संख्या – 09/2024

दायर दिनांकः– 02.07.2024
निर्णय दिनांकः– 08.07.2024

दिनेश पुत्र वालिया जाति भील निवासी कुण्डीया
बनाम
भुमिधारी राज्य सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार कुशलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती

आदेश

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुण्डीया पटवार मण्डल वडला की रेल तहसील कुशलगढ़ के खाता संख्या 22 खेत खसरा नंबर 82/9 कुल रकबा–0.9510 हैक्टेयर कुल लगान–0.48 रूपया कृषि भूमि जो कि खातेदार थावरा पुत्र वालिया जाति भील हिस्सा 1/2 तथा दिनेश पुत्र वालिया जाति भील हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। ऑनलाईन राजस्व नक्शा में उक्त खेत आराजी नंबर 82/9 का अंकन नहीं दिख रहा है। उपरोक्त नक्शा राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित हो जाने से प्रार्थीगण के स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भुमि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण से राजस्व रेकार्ड में गलत नक्शा को सही कर इन्द्राज किया जाना आवश्यक एंव न्यायसंगत है। अतः उक्त खसरा भुमि को सही अंकन किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कुशलगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार सैटलमेन्ट के समय मुल खसरा नम्बर 9 किस्म मगरी में से दिनांक 28.06.1981 को नामान्तरकरण संख्या 35 से 2.35 एकड का आवंटन वालिया पुत्र गोतिया भील के नाम हुआ। उसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 61 दिनांक 31.05.1989 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। जो कि जमाबंदी संवत् 2046–49 तक दर्ज रहा। जमाबंदी संवत् 2050–53 में खसरा नम्बर 82/9 रकबा 2.35 एकड़ की बजाय 82/8 रकबा 2.35 एकड़ लिपिकीय त्रुटी से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, जो क्रमशः चलता रहा। सेटलमेंट संवत् 2015 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.86 एकड़ किस्म बरडी 3 खातेदार केहरिंग वल्द रूपा मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड था। जो कि ऑनलाईन जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 15 में खातेदार गोतमा पुत्र केहरिंग जाति भील का कब्जा होकर काश्त कर रहा है। वर्तमान जमाबंदी 2074–77 में नामान्तरण संख्या 01 दिनांक 30.09.2020 से जरीये शुद्धिपत्र आदेश खसरा नम्बर 82/8 रकबा 0.9510 हैक्टैयर को शुद्ध किया जाकर 82/9 रकबा 0.9510 हैक्टेयर खातेदार दिनेश, थावरा पुत्र वालिया के नाम जमाबंदी में शुद्धि दर्ज किया गया। परन्तु भू–नक्षा में तत्कालीन समय में अशुद्ध ही रह गया है, जो कि शुद्ध किया जाना था। पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार ऑनलाईन भू नक्षे में भी खसरा नम्बर 82/9 रकबा 0.9510 हैक्टेयर की तरमीम किया जाना उचित है। तहसीलदार व पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खातेदार दिनेश, थावरा पुत्र वालिया के भूमि ऑनलाईन भू–नक्षा खसरा नम्बर 82/8 रकबा 0.9510 हेक्टेयर भूमि ऑनलाईन भू–नक्षा में 82/8 के बजाय 82/9 शुद्धि किए जाने की अनुशंषा की है।

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, बयान सहखातेदार, दस्तावेज रिकार्ड, ऑनलाईन खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी, भू–नक्षे का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी प्रार्थीगणों के खसरा नम्बर का ऑफलाईन नक्षा लट्ठा व पटवारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेस के अनुसार ऑनलाईन भू'–नक्षा में शुद्धी किए जाने की अनुशंषा किये जाने से प्रार्थीगणों के ऑनलाईन भू'–नक्षा में शुद्धी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर ग्राम कुण्डीया पटवार मण्डल वडला की रेल की वर्तमान जमाबन्दी के खाता नम्बर 22 के खसरा नम्बर 82/9 रकवा 0.9510 हेक्टेयर भूमि का ऑनलाईन भू–नक्षा में 82/8 के बजाया 82/9 शुद्धि किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तहसीलदार कुशलगढ़ उत्तानुसार भ– नवक्षा शुद्धि कर अमलदरामद करें। संलग्न ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को टंकीत कराया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)

Scanned with CamScanner